

संख्या: 1621 (1)/अडतीस-5-2013, तददिनांक 22 जून 2013

प्रेषण

सकल मुख्य अधिकारी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या में

1. समस्त मण्डलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 22 जून 2013

विषय - पेयजल की समस्या के त्वरित निदान हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति विकास खण्ड 50-50 इण्डिया मार्क-11 हैण्डपम्प की रिबोरिंग का समन्वय में।

महोदय

उपरोक्त के समन्वय में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1289/अडतीस-5-2013-22सम/2013 दिनांक 28 मई, 2013 के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या के त्वरित निदान हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्रति विकास खण्ड 50 की दर से हैण्डपम्पों के रिबोर कराया जाना है।

माओ जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन के सञ्चालन में एक सच्य लाया गया है कि हैण्डपम्पों को रिबोर करने में उनके प्रस्तावों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त शासनादेश दिनांक 28 मई, 2013 में उल्लिखित प्रति विकास खण्ड हैण्डपम्पों को रिबोर कराये जाने के समन्वय में माओ सदस्य / माओ विधान सभा / विधान परिषद सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के रिबोरिंग सम्बन्धी प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय

(सकल कुमार ओझा)
सचिव

संख्या 1621 (1)/अडतीस-5-2013, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, माओ मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, माओ राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ग्राम्य विकास विभाग।
3. स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. अधिसारी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. प्रमुख निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. प्रमुख निदेशक, यू.पी. स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लि. लखनऊ।
9. निदेशक, एन.आई.सी. योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत पत्र ई-मेल के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।
10. सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी / गार्ड फाइल।

ओझा से,

(सकल कुमार ओझा)
अनु सचिव।